न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 55/2020 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. नसरू पुत्र रूसतम जाति मेव निवासी ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:——— अपीलांट

बनाम

1 हनीफ पुत्र छोटेलाल
2 इसराईल पुत्र होशखां
3 इस्लाम पुत्र होशखां
4 यामीन पुत्र कल्लू
5 अयूब पुत्र कल्लू
6 आसु पुत्र फिरोजा जाति मेवान निवासीयान ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
7 राज0 सरकार जरिये कलेक्टर, अलवर

:——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, तिजारा
दिनांक 19.11.2020

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री विक्रान्त माथुर

निर्णय दिनांक 15.9.21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 101 ए/2020 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2020, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत हाजा में पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहत अदालत में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि साविक आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा से हाल नम्बर 631 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 631/1213 रकबा 5 बीघा, 631/1214 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा तथा 631/1215 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम रभाना तहसील तिजारा कायम हुये हैं । उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बर 631/1214 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा तरफ दक्षिण विवादित है । उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्व समयसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने से पूर्व एवं लागू होने के दिन समयसिंह काबिज रहा है और उनके देहान्त के बाद हम प्रार्थीगण काबिज है । हम मेव समुदाय के हैं और हम पर संयुक्त प्रथायें लागू होती हैं । समयसिंह के एक मात्र संतान अदली पैदा हुआ और अदली के 4 वारिसान फिरोजा, हौसखां, छोटेलाल व कल्लू पैदा हुये । जिनके नाम का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2015 में दर्ज है । फिरोजा के एक मात्र संतान प्रार्थी आसू है । हौस खां के 2 संतान प्रार्थीगण ईसराईल व इस्लाम है । छोटेलाल के एक मात्र संतान उसका पुत्र प्रार्थी हनीफ पैदा हुआ । कल्लू के 2 संताने प्रार्थीगण यामीन व अयूब पैदा हुये । उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण को विरासत में मिली है । परन्तु विवादित भूमि का जमाबन्दी 2033 पैमूद करते समय व उसके आधार पर पुनः दोहराते हुये सैटिलमैंट विभाग द्वारा सम्वत 2029 में विवादित भूमि को सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया गया तथा अप्रार्थी नम्बर 01 जबरन उक्त भूमि में निर्माण करने पर उतारू है । इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को मना किया तो बोला कि हमने तहसीलदार से उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त की है । अगर अप्रार्थी नम्बर 01 अपने इरादे में कामयाब हो गया तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी । विवादित भूमि से उसका कोई लेना देना नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 19.11.2020 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निषेधाज्ञा को सम्पुष्ट किया है, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी नम्बर 01 नसरू ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अप्रार्थी नम्बर 01 अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 631/1214 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा तरफ दक्षिण मुझे अलोट हुई है । मैं मौके पर काबिज हूं । मुझे रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज कर रखा है । कानूनन खातेदार/गैर खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । मुझे घटना वही के माध्यम से दखल दिया गया है । वादीगण रेस्पो0 ने पूर्व में भी दावा पेश किया था, जिसे वादीगण ने विड्रा कर लिया । इनको नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी, परन्तु इसके बावजूद नया वाद पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली । नया वाद पत्र पेश होने के बाद मेरे द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0 सी0 के माध्यम से तहत अदालत को अवगत करा दिया गया था कि विवादित भूमि की बाबत पूर्व में दायर वाद पत्र विड्रा कर लिया गया है, वादीगण को नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति नहीं दी गई है, इसके बावजूद नया वाद पेश कर दिया है, इसलिये नया वाद आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 में खारिज किया जावे । परन्तु तहत अदालत ने मेरा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तौर पर खारिज कर दिया । अपीलाधीन निर्णय में धारा 212 के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को विवेचित नहीं किया है । जबकि इन तीनों बिन्दुओं को विवेचित किया जाना चाहिये, जैसा कि 2019 आर0 बी0 जे0 पेज 97 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि जब परीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष नहीं दिया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए तीन आवश्यक कारक यथा प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति कारित होना, साबित है अथवा नही तो परीक्षण न्यायालय का निर्णय पोषणीय नहीं है । विवादित भूमि का मैं अलोटी गैर खातेदार हूं । कानूनन मेरे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जैसा कि 2018 आर0 बी0 जे0 पेज 499 एवं 2018 आर0 बी0 जे0 पेज 504 में अभिनिर्धारित किया गया है । तहत अदालत ने मुझे जवाब एवं जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया । इन्होंने दावा 80 साल बाद पेश किया है । साबिक रेकार्ड में कृषक के कॉलम में इनका नाम दर्ज नहीं है, मकबूजे मालकान का अंकन है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 जवाब में विद्वान वकील प्रार्थीगण रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 631/1214 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा हमारे कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । इस पर पूर्व में हमारे पूर्वज समयसिंह काबिज थे । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के पूर्व एवं लागू होने दिन भी हमारे पूर्वज काबिज थे । परन्तु बंदोवस्त सम्वत 2029 में उक्त भूमि को सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया गया । कस्टोडियन नियम, 1963 के तहत हमारे पूर्वज खातेदार हो चुके थे । बंदोवस्त विभाग ने गलत तौर पर हमारी भूमि को सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया । इसके बाद अपीलांट को भूमि अलोट कर गैर खातेदार दर्ज कर दिया । इसलिये हमने दुरूस्ती का वाद पेश किया । अगर अपीलांट का कोई हक बनता है तो उन्हें काउण्टर क्लेम पेश करना चाहिये था । मेव समुदाय पर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि मुस्लिमों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं । मैं अपनी अलोटशुदा गैर खातेदारी की भूमि पर काबिज हूं । वादीगण रेस्पो0 ने तहत अदालत में जो सजरा पेश किया, उस पर साक्ष्य नहीं ली गई है ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । नकल अलोटमैंट आदेश तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा दिनांक 5.3.77 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 631 में रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा का आवंटन तरफ पूर्व में अपीलांट नसरू को किया जाना पाया जाता है । घटना बही के द्वारा नसरू को मौके पर दखल दिया जाना पाया जाता है । इन्तकाल नम्बर 189 द्वारा उक्त भूमि पर नसरू को गैर खातेदारी प्रदान की गई है, जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत 2035 में किया जाना पाया जाता है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2064 में नसरू की काश्त दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 198 मिन रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा से हाल नम्बर 631 रकबा 18 बिस्वा 19 बिस्वा बनना पाया जाता है । बंदोबस्त सम्वत 2029 में उक्त खसरा नम्बर 631 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा को बंजड दर्ज कर रखा है । हाल जमाबन्दी सम्वत 2072 में आराजी हाल खसरा नम्बर 631/1214 पर नसरू को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 1999 में भू धारक के कॉलम में पलटू वगैरा का नाम दर्ज है,जिनमें प्रार्थीगण रेस्पो0 के पूर्वज का भी नाम शामिल है । परन्तु कृषक के कॉलम में मकबूजे मालकान का अंकन है तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

भूमि वर्गीकरण के कॉलम में गैर मुमकिन वेहड का अंकन है । जमावन्दी सम्वत 2015 में भी इसी प्रकार का अंकन है ।

7 पक्षकारो के हक हकूकों का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं । जिसके निस्तारण हेतु धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीनों आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखना होता है, परन्तु विद्वान तहत अदालत ने इन तीनों बिन्दुओं को विवेचित किये विना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिसे कि विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अपीलांट नसरू गैर खातेदार दर्ज है । उसका विवादित भूमि पर कब्जा है । अपीलांट काबिज गैर खातेदार होने की स्थिति में उसका प्रथमदृष्टतया मामला बनना जाहिर होता है । माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में कब्जेधारी व्यक्ति के कब्जे में मजाहमत नहीं की जा सकती अर्थात कब्जेधारी व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । चूंकि अपीलांट गैर खातेदार काबिज व्यक्ति है । अगर उसके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे काश्त करने में असुविधा होगी अर्थात सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है । साथ ही अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में काश्त नहीं करने दी गई तो उसे अपूर्णनीय क्षति होने का अंदेशा है । इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 212 के तीनों बिन्दू अपीलांट अप्रार्थी के पक्ष में साबित है । इसलिये उसे, जो कि गैर खातेदार काबिज व्यक्ति है, अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है, परन्तु विद्वान तहत अदालत ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया और अपीलांट अप्रार्थी को विधि विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 19.11.2020 निरस्त किया जाता है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर